विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित डॉ0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-7 का उत्तर

प्रश्न — **उत्तर**

7(क) क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बतायेंगे कि छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति आनलाइन प्रणाली के द्वारा रजिस्ट्रेशन संख्या-150290102002856, 150290102002807, 150290112001061, 15029112000911, 150290112000656, 451270502001094 व 274940102100081 के द्वारा आवेदन करते हुए छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति दिये जाने का अनुरोध किया है ?

जी हां।

(ख) यदि हॉं, तो क्या सभी छात्रों को उक्त का लाभ प्राप्त हो गया है ?

विवरण निम्नवत है :-

(1) रजिस्ट्रेशन संख्या-150290102002856 के छात्र श्री पंकज यादव को वित्तीय वर्ष 2020-21 में छात्रवृत्ति की धनराशि रू0 2200.00 एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रू0 50,000.00 का भुगतान उनके बैंक खाते में किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में उनके द्वारा भरे गये गतवर्ष के वार्षिक प्राप्तांक (14.58) एवं शिक्षण संस्था द्वारा अग्रसारित प्राप्तांक (14.00) में भिन्नता होने के कारण छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु डिमाण्ड डाटा में सम्मिलित किया जाना सम्भव नही था, जिसकी स्थिति राज्य एन0आई0सी0 के स्तर से तत्समय ही छात्रवृत्ति स्टेटस में प्रदर्शित कर दी गयी थी।

(2) रजिस्ट्रेशन संख्या-150290102002807 के छात्र श्री दिलीप कुमार को वित्तीय वर्ष 2020-21 में छात्रवृत्ति की धनराशि रू0 2200.00 एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रू0 50,000.00 के भुगतान की कार्यवाही पी०एफ०एम०एस० पोर्टल द्वारा राज्य एन०आई०सी० के माध्यम से उनके बैंक खाते में किया गया था, किन्तु उनका एकाउन्ट ब्लाक्ड/फ्रोजन होने के कारण ट्रांजेक्शन फेल हो गया था, जिसके कारण उनको उक्त धनराशि का भुगतान नही हो सका था। अन्तरण हेतु प्रेषित धनराशि का अन्तरण न होने की दशा में बैंको से फेल्ड ट्रांजेक्शन/अवितरित वापस प्राप्त धनराशि को राज्य सरकार के रिसीट हेड में जमा किये जाने का प्राविधान है, जिसके कारण फेल्ड ट्रांजेक्शन की धनराशि का निमयानुसार छात्र को भुगतान कराया जाना सम्भव नही है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में उनके द्वारा भरे गये गतवर्ष के वार्षिक प्राप्तांक (13.77) एवं शिक्षण संस्था द्वारा अग्रसारित प्राप्तांक (13.70) में भिन्नता होने के कारण छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु डिमाण्ड डाटा में सम्मिलित किया जाना सम्भव नही था, जिसकी स्थिति राज्य एन0आई0सी0 के स्तर से तत्समय ही छात्रवृत्ति स्टेटस में प्रदर्शित कर दी गयी थी।

(3) रजिस्ट्रेशन संख्या-150290112001061 के छात्र श्री नितिन पाल को वित्तीय वर्ष 2020-21 में छात्रवृत्ति की धनराशि रू0 6600.00 एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रू0 50,000.00 का भुगतान छात्र के बैंक खाते में किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में उनके द्वारा भरे गये गतवर्ष के वार्षिक प्राप्तांक (13.67) एवं शिक्षण संस्था द्वारा अग्रसारित प्राप्तांक (13.60) में भिन्नता होने के कारण छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु डिमाण्ड डाटा में सम्मिलित किया जाना सम्भव नही था, जिसकी स्थिति राज्य एन0आई0सी0 के स्तर से तत्समय ही छात्रवृत्ति स्टेटस में प्रदर्शित कर दी गयी थी।

(4) रजिस्ट्रेशन संख्या-15029112000911 के छात्र श्री अवनीश कुमार शर्मा को वित्तीय वर्ष 2020-21 में छात्रवृत्ति की धनराशि रू0 6600.00 एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रू0 50,000,00 का भुगतान उनके बैंक खाते में किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में उनके द्वारा भरे गये गतवर्ष के वार्षिक प्राप्तांक (15.13) एवं शिक्षण संस्था द्वारा अग्रसारित प्राप्तांक (15.10) में भिन्नता होने के कारण छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु डिमाण्ड डाटा में सम्मिलित किया जाना सम्भव नही था, जिसकी स्थिति राज्य एन0आई0सी0 के स्तर से तत्समय ही छात्रवृत्ति स्टेटस में प्रदर्शित कर दी गयी थी।

(5) रजिस्ट्रेशन संख्या-150290112000656 के छात्र श्री रितिक यादव को वित्तीय वर्ष 2020-21 में छात्रवृत्ति की धनराशि रू0 6600.00 एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रू0 50,000.00 का भुगतान छात्र के बैंक खाते में किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में उनके द्वारा भरे गये गतवर्ष के वार्षिक प्राप्तांक एवं शिक्षण संस्था द्वारा अग्रसारित प्राप्तांक में भिन्नता होने के कारण छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु डिमाण्ड डाटा में सम्मिलित किया जाना सम्भव नही था, जिसकी स्थिति राज्य एन0आई0सी0 के स्तर से तत्समय ही छात्रवृत्ति स्टेटस में प्रदर्शित कर दी गयी थी।

(6) रजिस्ट्रेशन संख्या-274940102100081 की छात्रा सुश्री अनुराधा शर्मा का गत वर्ष का प्राप्तांक प्रतिशत 50.64 था जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत उपलब्ध बजट की सीमा तक 64.59 प्रतिशत की मेरिट कटआफ तक के छात्रों को ही नियमानुसार छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जा सका था। अत: सुश्री अनुराधा शर्मा को नियमानुसार लाभान्वित किया जाना सम्भव नही था।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में उनके द्वारा भरे गये गतवर्ष के वार्षिक प्राप्तांक 328 एवं शिक्षण संस्था द्वारा अग्रसारित प्राप्तांक 582 में भिन्नता होने के कारण छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु डिमाण्ड डाटा में सम्मिलित किया जाना सम्भव नही था।

(7) रजिस्ट्रेशन संख्या-451270502001094 के छात्र सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना से सम्बन्धित है, जिसमें छात्र से सम्बन्धित संस्थान को एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा सत्यापित नहीं किये जाने के कारण छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं प्रदान किया गया।

(ग) यदि नहीं, तो कब तक सभी छात्रों को उक्त का लाभ प्रदान करायेंगे ?	उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।

(नरेन्द्र कश्यप)
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।